शासनादेश संख्या-13/2019/बी-2-556/दस-2019-2/2019

पंचायती राज अनु0-3 की पत्रा.सं.-03/2015

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 09 सितम्बर, 2019

विषयः- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश की जिला पंचायतों को सामान्य समनुदेशन की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-61 में प्रदेश की जिला पंचायतों को दी जाने वाली सामान्य समनुदेशन की कुल धनराशि रूपये 232000.00 लाख की 5% धनराशि (ए.टी.आर. में उल्लिखित संस्तुति संख्या-55 के अनुसार आडिट अनुशासन हेतु) एवं 0.15% धनराशि (संस्तुति संख्या-23 के अनुसार प्रशिक्षण संस्थान हेतु) को छोड़कर 94.85% धनराशि में से 1% परिक्रमी निधि की धनराशि को घटाते हुए अवशेष 93.85 धनराशि **रूपये 217732.00 लाख में से प्रथम चार माह (माह अप्रैल, मई, जून एवं जुलाई) हेतु रूपये 72577.34 लाख (रूपये सात सौ पच्चीस करोड़ सत्हत्तर लाख चौंतीस हजार मात्र)** संस्तुति संख्या-57 के अनुसार संलग्न सूची में अंकित विवरण के अनुसार जिला पंचायतों को दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

निकाय का नाम	स्वीकृत धनराशि
जिला पंचायतें	72577.34 लाख

2- संलग्न सूची में उल्लिखित जिला पंचायतों को धनराशि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दी जा रही है।

3- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत की जा रही हैः-

(1) जिला पंचायतों को स्वीकृत की जा रही धनराशि, कोषागार से आहरित कर किसी भी दशा में निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) जिला पंचायतों को स्वीकृत की जा रही धनराशि, निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा शासनादेश के साथ संलग्न सूची में इंगित जिले के सम्मुख कॉलम-3 में जिला पंचायतों के लिये आवंटित धनराशि के अनुसार, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ से आहरित कर सीधे जिला पंचायतों के खाते में जमा की जायेगी। निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिला पंचायतों का बैंक खाता एवं आई.एफ.एस.डी. कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है वह सही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) धनराशि के आहरण के एक सप्ताह के भीतर आहरण की सूचना, बाउचर संख्या व दिनांक सहित प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन गठित जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक को प्रेषित की जायेगी जो अपने स्तर से धनराशि के आहरण की संहत सूचना पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायेंगे।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(4) पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश स्वीकृत धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे।

4- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अंतर्गत लेखाशीर्षक ''3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन 196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-0301-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन'' के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-13/2019/बी-2-556(1)/दस-2019-2/2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
4- पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
9- उपनिदेशक, जिला पंचायत, अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
10- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
11- निदेशक, पंचायती राज (लेखा), इन्दिरा भवन, 10 वां तल, लखनऊ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-13/2019/बी-2-556/दस-2019-2/2019 दिनांक 09 सितम्बर,2019 का संलग्नक

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 की आय-व्ययक में जिला पंचायतों हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम चार माह (अप्रैल, मई, जून एवं जुलाई) के लिए व्यवस्थित धनराशि के आवंटन का फॉंट

अनुदान संख्या-61

3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-

196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-

03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत समनुदेशन -

0301- सामान्य समनुदेशन -

28- समनुदेशन -

(धनराशि लाख रूपये में)

Øe l[;k	ftyk ipk;r dk uke	ftyk ipk;rk dk 04 ekg dh leun'ku dh /kujkf'k
1	2	3
1	ejB	976.89091
2	ckxir	735.93416
3	xkft;kckn	875.28264
4	xkrec)uxj	722.87024
5	cyUn'kgj	1190.26827
6	gkiM	897.78161
7	lgkjuij	1145.27032
8	et¶Qj uxj	1032.77545
9	'kkeyh	651.74445
10	vkxjk	1175.02703
11	fQjkt kckn	883.99192
12	eFkjk	924.63523
13	euijh	799.80221
14	vyhx<	1116.96516
15	gkFkjl	763.51355
16	,Vk	754.80427
17	dklxt	661.90528
18	ejknkckn	817.22077
19	vejkgk	744.64344
20	jkeij	810.68881
21	fctukj	1305.66623
22	lEHky	815.76923
23	cjyh	1196.80023
24	cnk;	1057.45175
25	'kkgtgkij	1023.34040
26	ihyhHkhr	864.39604

		(धनराशि लाख रूपये में)			
Øe l[;k	ftyk ipk;r dk uke	ftyk ipk;rk dk 04 ekg dh leun'ku dh /kujkf'k			
1	2	3			
27	y[kuÅ	1038.58828			
28	jk;cjyh	934.79605			
29	lhrkij	1647.50547			
30	gjnkb	1479.12605			
31	[khjh	1492.18997			
32	mUuko	1147.44764			
33	cLrh	941.32801			
34	fl)kFkuxj	918.10327			
35	lUr dchj uxj	726.49911			
36	xkj[kij	1368.08273			
37	nofj;k	1077.04763			
38	d'khuxj	1225.83116			
39	egjktxt	978.34245			
40	v;k/;k	975.43936			
41	ckjkcdh	1262.11983			
42	lYrkuij	993.58369			
43	vEcMdj uxj	934.79605			
44	veBh	1006.64761			
45	xk.Mk	1212.04147			
46	cyjkeij	799.07644			
47	cgjkbp	1132.20640			
48	JkoLrh	514.57329			
49	fetkij	1022.61463			
50	lr jfonkl uxj	690.93621			
51	lkuHkn	1018.98576			
52	okjk.klh	959.47235			
53	pUnkyh	787.46407			
54	xkthij	1266.47447			
55	tkuij	1589.44360			
56	i;kxjkt	1725.88899			
57	dk'kkEch	784.56097			
58	irkix<	1172.84971			
59	Qrgij	1013.90535			
60	vktex<	1603.23329			
61	eÅ	802.70531			
62	cfy;k	1117.69093			
63	dkuij uxj	764.23932			
64	dkuij ngkr	909.39399			
65	Q:[kkckn	756.98159			
66	bVkok	723.59601			
67	dUukt	727.95065			

		(धनराशि लाख रूपये में)			
Øe l[;k	fty k ipk;r dk uke	fty k ipk;rk dk 04 ekg dh leun'ku dh /kujkf'k			
1	2	3			
68	vkj ;k	704.72591			
69	>k lh	757.70736			
70	t kyku	679.32384			
71	yfyr ij	687.30735			
72	gehjij	594.40836			
73	cknk	758.43313			
74	fp=dV	639.40631			
75	egkck	566.82897			
	egk;kx	**72577.34000**			
(रूपये सात सौ पच्चीस करोड सतहत्तर लाख चौंतीस हजार मात्र)					